न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –45/2019

अपीलाण्टस्	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. सीतादेवी पत्नी स्व. हरिराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष निवासी घटेलो की ढ़ाणी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज. 2. हुक्मीराम पुत्र हरिराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी घटेलो की ढ़ाणी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज. मो.– 9461022871		राज. राज्य तहसीलदार मेड़ता।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से धर्माराम खुड़खुड़िया
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 17-10-2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2019 सरकार बनाम हुक्मीराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.07.2019 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का शुभदण्ड ने खसरा नं. 85 गैर मुमकिन रास्ता वाके नयाखेड़ा तहसील मेड़ता की दोनो सीमाओं के स्थाई मुटाम से भूमाप किये बिना ही सरसरी तौर पर रास्ते के विपरीत दिशा के खातेदार से प्रभावित होकर मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 25.06.2019 को भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर करवा कर मौके पर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हुए बिना ही गलत नजरी नक्शा बना कर रिपोर्ट पेश कर दी, जिस पर उक्त प्रकरण अपीलांट संख्या 2 के नाम त्रुटिपूर्वक दर्ज हुआ तथा रास्ते के पास अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी का खेत है तत्पश्चात बिना अपीलांट संख्या 2 की मौजूदगी में भूमाप करवाये और बिना रास्ते की चौड़ाई का भूमाप किये अस्पष्ट रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए दिनांक 18.07.2019 को जब अपीलांट संख्या 2 उपस्थित हुआ तो खाली ऑर्डरशीट पर अपीलांट संख्या 2 के हस्ताक्षर करवा कर भविष्य में अपीलांट की मौजूदगी में फसल कटने पर भूमाप कराने को आदेश सुनाया मगर अपीलांट के हस्ताक्षर के बाद अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 18.07.2019 को अपीलांट संख्या 2 अतिक्रमी नहीं होते हुए भी अपीलांट संख्या 2 के विरुद्ध आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्वक पारित कर दिया व अपीलांट संख्या 1 को जिसका कि खातेदारी का खेत है नोटिस दिये बिना ही त्रुटिपूर्वक आदेश पारित किया व हाथोहाथ ही मौके पर बिना भूमाप किये बेदखली करने हेतु थानाधिकारी, सरपंच व राजस्व अधिकारियों को तहरीर जारी कर दी, जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट ने आज दिनांक 30.07.2019 को नकल प्राप्त की व तुरन्त अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील स्वीकार योग्य है आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर पुनः खातेदार अपीलांट संख्या 1 को नोटिस देकर अपीलांट की मौजूदगी में भूमाप करवाया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की जाने योग्य है।

कलक्टर, नागौर

आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध, त्रुटिपूर्वक व बिना भूमाप करवाये, बिना विधिक प्रकिया अपनाये, वास्तविक खातेदार अपीलांट संख्या 1 को नोटिस दिये बिना, बिना नाप चोप करवाये, बिना रास्ते की सीमाओं का ज्ञान किये, अपीलांट संख्या 2 के आवेदन पर पूर्व से मिथ्या रिपोर्ट बनाने वाले पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक से ही दुबारा रिपोर्ट पेश करने पर बिना साक्ष्य व जांच के आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है जिससे आदेश सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नं. 92 की सैंकड़ो साल पुरानी खेतो की माठे मौजूद है तथा माठो को न तो खिसकाया, न हिलाया डुलाया है न रास्ता बंद किया है। वास्तव में अपीलांट संख्या 1 के खेत के दक्षिण में स्थित रास्ते के दक्षिण में जो खातेदार है उसने रास्ते की करीब 10 फुट भूमि को अपने खेत में शामिल कर उस पर काश्त की है जिससे मौके पर रास्ता संकड़ा हुआ है तथा वह प्रभावशाली व्यक्ति है, उससे भयभीत व प्रभावित होकर पटवारी व आर आई हल्का ने मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट पेश की व अपीलांट को अपनी मौजूदगी में भूमाप स्थायी मुटाम से करवाने का अधिकार है व त्रुटिपूर्वक आदेश से प्रतीरक्षा का आदेश है जो अधिकार उपलब्ध करवाया जाकर पुनः अपीलांट की मौजूदगी में काश्त का मौसम समाप्त होने के बाद व सारे खेत खाली होने के बाद नाप करवा कर सही विधिवत आदेश पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की जाने योग्य है।

अपीलांट संख्या 1 के खेत की पाली कतई नई नहीं बनाई हुई है तथा बरसाती पानी के सुखाधिकार को प्राप्त करने हेतु पीढ़ीयों पुरानी पाली है जो नया अतिक्रमण नहीं होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त/निरस्त/संशोधितकिया जाकर पुनः अपीलान्टान की मौजूदगी में स्थाई मुटाम से रास्ते के दक्षिणी सीमा को कायम कर उसके पश्चात रास्ते की चौड़ाई का ज्ञान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु आदेश व निर्देश दिये जाने हेतु पत्रावली रिमाण्ड करने तथा राजस्व कर्मचारियों की टीम बनाकर भूमाप के बाद नये सिरे से निर्णय पारित करवाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत अतिकमण साबित पाये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया, जो उचित होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम नयाखेड़ा के खसरा नम्बर 85 की गैर मुमकिन रास्ते की 0.0040 हैक्टयर भूमि पर अपीलान्ट संख्या–2 हुक्मीराम द्वारा पाली डालकर नाजायज कब्जा की पटवारी शुभदण्ड एवं भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 25.06.19 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट हुक्मीराम को नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट हुक्मीराम द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू.अ.निरीक्षक मेड़ता व पटवारी हल्का शुभदण्ड से पुनः रिपोर्ट चाही जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता एवं पटवारी हल्का शुभदण्ड द्वारा दिनांक 18.07.2019 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस रिपोर्ट में अपीलान्ट हुक्मीराम द्वारा जबाब में किये गये कथन कि मेरे खेत का नाप नहीं किया गया का खण्डन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर नाप कर गैर सायल (अपीलान्ट हुक्मीराम) को बताया तथा खसरा नम्बर 85 में गैर सायल (अपीलान्ट हुक्मीराम) का अतिकमण पाया गया। इस प्रकार तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर नाजायज अतिकमण किया गया है।

खसरा नम्बर 85 के गैर मुमकिन रास्ते के पास अपीलान्ट संख्या–1 सीतादेवी का खातेदारी का खेत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण गलत रूप अपीलान्ट संख्या–2 हुक्मीराम के नाम गलत दर्ज करने का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट हुक्मीराम को उक्त प्रकरण के संबंध में वादग्रस्त गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिकमण के संबंध में नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट हुक्मीराम स्वंय द्वारा तामील कर तारीख पेशी 04.07.2019 पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश किया एवं तत्पश्चात तारीख पेशी 18.07.2019 को भी अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं से स्पष्ट है। परन्तु अपीलान्ट संख्या–2 हुक्मीराम द्वारा अधिनस्थ

न्यायालय के समक्ष उसके विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण दर्ज करने अथवा नोटिस जारी करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब में भी अपीलान्ट हुक्मीराम द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। इसके विपरित अपीलान्ट हुक्मीराम द्वारा जबाब में उल्लेख किया है कि गैर सायल के खातेदारी के पास रास्ता स्थित है मगर गैर सायल ने कोई नया अतिकमण नहीं किया है। गत सैकड़ों वर्षों से दक्षिणी माठ कायम है उस माठ के अन्दर ही गैर सायल का कब्जा काश्त है तथा पुनः गैर सायल की उपस्थित में नाप करने आदि का कथन जबाब में किया गया है। अपीलान्ट संख्या–1 सीतादेवी का अपीलान्ट संख्या–2 हुक्मीराम पुत्र है। अपीलान्ट हुक्मीराम के जबाब से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में अपनी माता अपीलान्ट संख्या–1 सीतादेवी की सहमति से ही प्रतिरक्षण की कार्यवाही की है। इसके अलावा अपीलान्टस् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय के समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस् का नाजायज अतिकमण नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उक्त तथ्यों के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.11 11:13:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: